FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2022/235

अज अदालत – जिला कलक्टर मुकाम अजमेर

सुनील करमचंदानी बनाम राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक व अन्य

किस्म मुकदमाः– धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 प्रकरण संख्या 67 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.11.2022	अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट को सुना गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.12.2022 को पेश हो। (अंश दीप) जिला कलक्टर, अजमेर	
27/12/22	पत्रावली पर श्री अपीलान्ट एवं डेप्यु. एजी अपीलान्ट एवं डेप्यु. 2 के अभिभाषक पर पक्षे अजय के वाणीवाद के लिए तय कर निकाल किया कि अजय के अपीलार्थी एवं डेप्यु. के मध्य आपसी समझौते के वाणीवाद के बाद श्री अजय पोषण निर्वाह भत्ते की बाबत कोई भी मध्य अपीलार्थी ने नहीं करेगी उक्त अजय को लोक न्यायालय की मार्फत के लिए अजय पत्रावली को प्रेषित एवं अपीलार्थी के मध्य अन्य कोई विवाद शेष नहीं है अतः अपील दिनांक को निकाल किया जाता। अतः अभिभाषक परिलिखित के मध्य मध्य रखते एवं डेप्यु. एवं अपीलार्थी के मध्य कोई विवाद शेष नहीं होने व अपील को पुनः किये जाने के मद्दे अपील की रूप पर ही पारित किये जाने के कारण प्रस्तुत अपील निकाल किया जाती है अपीलान्ट एवं डेप्यु. ने संबंधित अधीनस्थ न्यायालय अजमेर को रेकर्ड तलब कराकर रेकर्ड के साथ दी जावे रेकर्ड तलब कराकर रेकर्ड के साथ दी जावे (अंश दीप) जिला कलक्टर, अजमेर	Sunil Naty